न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

रेफरेन्स संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/02/2021	2021/66	27.02.2021	03.12.2021

01–तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

–प्रार्थी

वनाम

01–अशोक कुमार दत्तक पुत्र कैलाश चंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
02–वंता शर्मा पत्नी दिनेश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
03–सुरेश पुत्र कन्हैया जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
04–दिनेश पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
05–नरेन्द्र पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
06–वबीता रानी पुत्री मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
07–विजेन्द्र पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
08–रेखारानी पुत्री मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
09–रतनदेवी पत्नी मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ(मृतक)
10–रविन्द्र पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
11–रामदुलारी पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
12–गजेन्द्र पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
13–भगवती पुत्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
14–मनुकुमार शर्मा पुत्र घनश्याम दत्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी गोविन्दगढ।
15–रोशन लाल सैनी पुत्र धर्मचन्द सैनी कौम माली सा0रामवास।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–
01–श्री दीपक कुमार मीणा –राज.अधिवक्ता
02–श्री दलेर सिंह –अप्रार्थीगण

निर्णय

तहसीलदार गोविन्दगढ ने रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 एल. आर. एक्ट 1956 प्रस्तुत किया। रेफरेन्स का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि साविक रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल 2028 साविक नम्बर 430 रकबा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 384 के साविक नम्बर 431 रकबा 5 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 385 व साविक नम्बर 415 मिन रकबा 1 बिस्वा एंव 429 रकबा 13 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 386 व साविक खसरा नम्बर 432 मिन रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 387 व साविक नम्बर 332 मिन रकबा 1 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 388 वाके ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रामबास बने। ग्राम रामबास के आ.ख.नं. 384, रकवा 0.07 गै0मु0 वगीची 386 रकवा 0.05 गैर मुमकिन मन्दिर 386 रकबा 0.14 वारानी अलिफ 387 रकबा 0.07 वारानी अलिफ 388 रकवा 1.01 गै.मु.चाह जमावंदी सम्वत् 2072–75 में खातेदार दर्ज है। इसके उपरान्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से जरिये डिक्री विभाजन हुआ है जिसका नामान्तकरण संख्या 1545 दिनांक 12.05.2003 से उक्त खसरा नम्बरों का विभाजन होने के कारण जमावंदी में बटे रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 459 में भगवती पुत्री राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 कांमा खातेदार खसरा नम्बर 384/4 रकवा 0.0126, 386/3 रकवा 0.0505, 387/1 रकवा 0.0252, 387/6 रकवा 0.0632 है0 दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 26.10.2020 को उक्त खातेदार भगवती ने अपना 1/2 भाग मनु कुमार एंव रोशनलाल सैनी को बेचान कर दिया। इसी प्रकार दिनांक 26.10.2020 को ही विक्रेता भगवती ने अपना शेष 1/2 भाग मनु कुमार शर्मा को बेचान कर दिया। जमावंदी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 564 में नरेन्द्र पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/6, बबीता रानी पुत्री मूलचंद हि0 1/6 विजेन्द्र पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/6, रेखारानी पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/6, रतनदेवी पत्नी मूलचंद हिस्सा 1/6 रविन्द्र पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/6, के खसरा नम्बर 184/3 रकवा 0.0252, 186/2 रकबा 0.0379, 187/2, रकबा 0.0252, 187/5 रकवा 0.0505, 388 रकवा 0.0126, कुल किता–5 रकवा 15.14 है0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमावंदी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या–23 में अशोक कुमार दत्तक पुत्र कैलाश चंद हिस्सा 1/3 बन्ता शर्मा पत्नी दिनेश कुमार हिस्सा 1/3 सुरेश पुत्र कन्हैया हिस्सा 1/3 जाति ब्रा0 निवासी गोविन्दगढ के नाम खसरा नम्बर 384/1 रकवा 0.0379, 386/1 रकवा 0.0885, 387/3 रकवा 0.0505, 387/4 रकबा 0.1264, कुल किता–4 रकवा 0.3030 है0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमावंदी सम्वत् 2072–75 के खाता संख्या 461 में अशोक कुमार मु0 कैलाश चंद हिस्सा 1/4 दिनेश पुत्र कन्हैया लाल हिस्सा 1/12, नरेन्द्र पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/24, बबीता रानी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/24, रेखारानी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/24, रतनदेवी पत्नी मूलचंद हिस्सा 1/24 रविन्द्र पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/24, रामदुलारी पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा 1/12, विजेन्द्र पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/24, सुरेश पुत्र कन्हैया लाल हिस्सा 1/12, जाति ब्रा0 निवासी गोविन्दगढ के नाम खसरा नम्बर 384/2 रकवा 0.0126 गैर मु0 शिवालय 385, रकवा 0.0632 गै0 मु0 मंदिर कुल किता–2 रकवा 0.0758 है0 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। साबिक रिकार्ड सम्वत् 1994 में खाता संख्या 256 के ख0नं0 429, 430, 431, 432, किता–4 रकवा 2.14 बीघा में सेढू पुत्र गणेश ब्रा0 सा0गोविन्दगढ में माफी देन जमीदारा के कैफियत कालम में दिनावर पूजा मंदिर पिनच वाला मुआफ दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार सम्वत् 1990 के खाता संख्या 420 में इसी प्रकार का अंकन है । सम्वत् 1995 के खाता संख्या 210 में भी सुखदेव पुत्र बलदेव वगै0 ग्राम गोविन्दगढ जमीदारान मार्फत सेढा पुत्र गणेश ब्राहमण गोविन्दगढ गैर मौरोसी के कैफियत कॉलम में पूजा मंदिर हनुमान जी पिनच वाल मुआफ दर्ज रिकार्ड है। साविक रिकार्ड में पूजा मंदिर हनुमान जी पिनच वाला के कब्जे काश्त की आराजी रही है। चूंकि मूर्ति नावालिग होती है ऐसी स्थिति में नाबालिग के हितों की सुरक्षा हेतु मौजूदा रेफरेन्स न्यायालय हाजा में प्रस्तुत है आराजी मुतनाजा पर कभी भी अप्रार्थीगणों का कब्जा काश्त नहीं रहा है । तहसीलदार गोविन्दगढ ने रफरेन्स प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 384/1, 384/2, 384/3, 384/4, 386/1, 386/2, 386/3, 387/1, 387/2, 387/3, 387/4, 387/5, 387/6, 385, 388, कुल किता–15 रकवा 0.6824 है0 वाके ग्राम रामवास के हाल राजस्व रिकार्ड में से अप्रार्थीगण का नाम कलमजन किया जाकर उसकी जगह मूर्ति मंदिर श्री हनुमान जी महाराज पिनच वाले का नाम दर्ज किया जावे तथा अप्रार्थीगण को पावन्द किया जावे कि वो आराजी मुतनाजा के उपयोग उपभोग में मदाखलत पैदा न करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर का अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलव किये गये वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। साविक जमावंदी सम्वत् 2002 के खाता संख्या 254 एवं जमावंदी सम्वत् 2010 के खाता संख्या 276 के कॉलम नं–5 कृषक विवरण में राम प्रसाद, छोटेलाल पि0 गणेश ब्राह्मण गोविन्दगढ समान भाग मुआफी देन जमीदारा व काश्त रामप्रसाद माफीदार दर्ज रिकार्ड है। जमावंदी की विशेष कॉलम में पूजा श्री हनुमान जी महाराज मुआफ है। साविक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ख0नं0 429 रकबा 0.13 मटियार अव्वल बारानी, 430 रकबा 0.07 गै0मु0चाह 431 रकबा 0.05 गैर मुमकिन मंदिर 432 रकबा 0.09 मटियार अव्वल बारानी किता–4 रकबा 0.14 दर्ज है। प्रश्नगत भूमि का विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा जरिये डिक्री हुआ है। ग्राम रामबास के खाता संख्या 23 में खसरा नम्बर 384/1, 386/1, 387/3, 387/4, किता–4 रकबा 0.3033 में से हुए दानपत्र का नामान्तकरण दिनांक 30.08.2020 को नामान्तकरण संख्या 3152 से बन्ता शर्मा पत्नी दिनेश कौम ब्राह्मण साकिन गोविन्दगढ़ 1/3 हिस्सा के नाम तस्दीक किया गया है। इसी प्रकार अन्य खातेदारान द्वारा भी प्रश्नगत आराजी का बेचान किया गया है। हाल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 में उक्त विक्रेताओं के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

इसी सम्बन्ध में तहसीलदार गोविन्दगढ ने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को लिखे पत्र क्रमांक 1568 दिनांक 29.10.2020 की प्रति पत्रावली के साथ संलग्न है। उक्त पत्र में तहसीलदार गोविन्दगढ ने उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को अवगत कराया है कि राजस्व(ग्रुप–6)विभाग राज0 सरकार के परिपत्र 3(2)राज–6/2007/14 दिनांक 14.05.2007 के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिरों के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुद काश्त के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क है। वह किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम जैसे पुजारी सेवादार आदी के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्गहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अनुसार जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार ,पट्टेदार खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिससे यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगें और वह ऐसी भूमि के सम्बन्ध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। तहसीलदार गोविन्दगढ ने अपने उक्त पत्रांक में यह भी अंकित किया है कि तहसीलदार एक हकीकत नामक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 822 पर दर्ज शीर्षक मन्दिर माफी की कृषि भूमि में वर्णित राजस्थान भूमि सुधार अधिनियम की धारा 13 तथा राजस्थान काश्तकारी (टिनेन्सी)अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के अन्तर्गत खातेदारी के प्रावधान बना दिये गये। ये सभी प्रावधान सभी खातेदारों पर एक साथ लागू किये गये और इस तरह से मूर्ति तथा मन्दिर की सम्पत्तियों कें संबंध में भी इन प्रावधानों को लागू किया गया। इन प्रावधानो को यदि अलग से पढा जावे तो तात्पर्य यह निकलता है कि इन प्रावधानों के लागू होने पर मंदिर की माफी समाप्त हो गई है और जो भूमि मूर्ति के नाम खुद काश्त दर्ज है तथा जिसको व्यवस्थापक द्वारा मजदूरों और हालियों इत्यादि के द्वारा काश्त कराई जा रही है, वह भूमि तो मूर्ति मन्दिर की रह जावे और शेष भूमि राजस्थान काश्तकारी (टिनेन्सी)अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के अनुसार वास्तविक काश्तकारों के बीच नियमानुसार दी जावे।

तहसीलदार गोविन्दगढ ने सम्वत् 1994 एवं 1995 को आधार मानते हुए मौजूदा रेफरेन्स लगभग 84 वर्ष पश्चात पेश किया है जिसका कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है। प्रश्नगत आराजी को लेकर तहसीलदार गोविन्दगढ ने अपने पत्रांकः 1568 दिनांक 29.10.2020 जो कि उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को प्रेषित किया है उसमें स्पष्ट अंकन किया है कि प्रकरण रेफरेन्स का उचित प्रतीत नहीं होता है। वहीं दिनांक 22.7.2021 द्वारा तहसीलदार गोविन्दगढ ने विवादित आराजी के सम्बन्ध में मौजूदा रेफरेन्स पेश किया है। तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में ही प्रथम दृष्ट्या विरोधाभाष प्रकट होता है साथ ही **''माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपने पत्रांकः राम/प–63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने वक्त अभिलेख में मूर्ति मंदिर के नाम विभिन्न रूपों में अभिलिखित भूमियों में काबिज काश्तकार के खातेदारी अधिकार अर्जित होने अथवा नहीं होने के बाबत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न परिपत्र दिनांक 13.12.91, 6.3.07, तथा 24.5.07 जारी किये गये। मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में परिपत्र दिनांक 24.5.07 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

आदी के नाम दर्ज थी उनमें उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एंव हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगें ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्वत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियें का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।"

अप्रार्थीगण को प्रश्नगत आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा लगभग 84 वर्ष पश्चात मौजूदा रेफरेन्स प्रस्तुत किया है, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया है जो प्रथम दृष्ट्या विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण द्वारा आर.आर.टी. 2019 (1) पेज–622 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बउनवान प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम गुलाब बलाई व अन्य सिविल रिट पिटीशन संख्या 17953/2016, सिविल रिट पिटीशन संख्या 4885/2017 निर्णय दिनांक 21.01.2019 " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82–44 वर्ष बाद किया गया रेफरेन्स राजस्व बोर्ड ने खारिज किया–परिसीमा विहित नहीं है किन्तु विलम्ब युक्तियुक्त होना चाहिये–न्याय संगत कारण नहीं बताये एन तथा एम भूमि के कब्जा काश्त में थे और उनके नाम भूमि सही दर्ज की क्योंकि कॉलम नम्बर 5 में काश्तकार थे–निर्णित रेफरेन्स सही खारिज किया।

आर.आर.टी. 2017 (1) पेज–310 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बउनवान भूरिया वगै0 बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर व अन्य सिविल रिट नम्बर 954/1995 निर्णय दिनांक 30.8.2016 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956–धारा–82–बोर्ड ने रेफरेन्स स्वीकार किया और भूमि को डोली बनाम मन्दिर श्री महादेव जी के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया–1952 का अधिनियम प्रभाव में आने के बाद भूमि पुनर्ग्रहित हुई और भूमि राज्य में निहित हुई–सम्वत् 2009 से 2028 में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज थे–भूमि देवता द्वारा खुदकाश्त की जाना स्थापित नहीं किया–जागीर पुनर्ग्रहण के समय प्रार्थीगण भूमि काश्त कर रहे थे–35 वर्षो के विलम्ब के बाद रेफरेन्स किया–कपट का आरोप नहीं–निर्णीत, असामान्य विलम्ब के बाद रेफरेन्स न्यायसंगत नहीं है–आदेश अपास्त किया।

आर.आर.टी. 2019(1) 250 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर बउनवान सरकार बनाम रामलाल रेफरेन्स एल.आर. नम्बर 2607/जयपुर/2002 निर्णय दिनांक 07 अगस्त 2018 " राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 मंदिर श्री सीताराम जी का नाम संवत् 2021 में जमाबंदी तैयार करते समय विलोपित किया और खसरा नम्बर 236 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किया। मंदिर मूर्ति श्री सीताराम जी विवादित भूमि के माफीदार थे–1952 के अधिनियम के अन्तर्गत जागीर पुनर्ग्रहित हुई तथा काबिज काश्तकार स्वतः खातेदार हुआ–निर्णीत, अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी की खातेदारी में भूमि सही दर्ज की ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एंव उक्त सम्मानीय न्यायालयों की मौजूदा नजीरात की रोशनी में तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स वर्तमान में इस स्तर पर सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार गोविन्दगढ रिकार्ड एवं मौंका स्थिति के परिप्रेक्ष्य में औचित्यपूर्ण एवं प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर वाद परीक्षण पुनः रेफरेन्स किये जाने हेतु स्वतन्त्र है।

अतः तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 03.12..2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर